

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0-एन0पी0/भवन-10/(2016-17) - 14

दिनांक: 15/3/17

प्रेषक: आर0आर0 हेम्ब्रम, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखंड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघुशीर्ष-070-संचार तथा भवन के अधीन "02- भवन" उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2015-16 /192/बजट राँची, दिनांक 30.03.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "02-भवन" उपशीर्ष के "43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण" इकाई में रु0 65,700/- (षैंसठ हजार सात सौ रु0) मात्र की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2015-16 /192/बजट राँची, दिनांक 30.03.2016 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल राँची के ज्ञापांक 232, दिनांक 20.02.2017 मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखंड, राँची के कार्यालय कक्ष के मरम्मत हेतु अति आवश्यक कार्य के लिए दी जा रही है।

आवंटित राशि निम्नवत् शर्तों के साथ व्यय किया जाय :-

- राशि का व्यय सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में ही आवंटित राशि का नियमानुसार तथा वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमों के आलोक में ही किया जाय।
 - कार्य पूरा किये जाने के पश्चात Utilization Certificate समय पर नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
 - आवंटित राशि का व्यय उसी भवन/आवास पर कराया जाय जिसके लिए राशि का आवंटन किया गया हो।
 - आवंटित राशि से किसी भी हालत में अधिक निकासी एवं व्यय न किया जाय।
- आवंटन आदेश पत्र संख्या- BWLBD/02-16-17/16BLD की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो0:

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक - 1217

दिनांक 15/3/17

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दस्तावेज एवं बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BWLBLD/02-16-17/16BLD

दिनांक - 15-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601070020543 2406 - कानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - कानिकी 070 - संचार तथा भवन 02 - भवन 05 - निर्माण 43 - अनुसंधान, भरणमति एवं सुसज्जीकरण (सागरी)	103330	DRNFWL076 LAL RATNAKAR SINGH, I.F.S. PCCF, WILD LIFE & WL, WARDEN JHA	65,700.00 रुपये पैंसट हजार सात सैं



योग:

क्रमिक योग:

रुपये पैंसट हजार सात सैं

65,700.00


(R.R. HEMBROM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत "02-भवन" उपशीर्ष के 43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जिकरण (सामग्री) इकाई में कार्यान्वित की जाने वाली पदाधिकारियों / कर्मचारियों के सरकारी आवास, कार्यालय एवं वन विश्रामागार आदि का रखरखाव हेतु प्रस्तावित भवनों के लिए आवंटित राशि।

क्र० सं०	रीजन/प्रभाग का नाम	प्रमंडल का नाम	कार्य का विवरण	अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जिकरण हेतु आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1	प्र०मु०व०सं०, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची।	रांची वन्य प्राणी प्रमंडल, रांची	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखंड, रांची के कार्यालय का मरम्मति कार्य हेतु।	65,700
कुल राशि :-				65,700

(पैंसठ हजार सात सौ रु० मात्र)


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 झारखंड, रांची।